भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*103
सोमवार, 11 फरवरी, 2019/22 माघ, 1940 (शक)

राष्ट्रीय रोज़गार नीति

*103. कर्नल सोनाराम चौधरीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार देश में राष्ट्रीय रोज़गार नीति बनाने हेतु कोई ठोस कदम उठा रही है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

कर्नल सोनाराम चौधरी द्वारा राष्ट्रीय रोज़गार नीति के बारे में पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *103 के दिनांक 11.02.2019 को दिए जाने वाले उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित विवरण।

(क): श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार-बेरोजगारी पर आयोजित किए गए श्रम बल सर्वेक्षणों के उपलब्ध परिणामों के अनुसार, देश में सामान्य प्रमुख एवं सहायक स्थिति (पीएस+एसएस) दृष्टिकोण आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों हेतु अनुमानित बेरोजगारी दर 2012-13, 2013-14 एवं 2015-16 में क्रमशः 4.0%, 3.4% एवं 3.7% थी।

रोजगार सृजित करने एवं नियोजनीयता में सुधार करने के लिए, भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए), तथा पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) भी आरंभ की गई है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 25 जनवरी, 2019 तक कुल 15.59 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार के सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु तीन वर्षों के लिए ईपीएफ एवं ईपीएस के नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। 4 फरवरी, 2019 तक, इस योजना के अंतर्गत 1.31 लाख प्रतिष्ठान एवं 1.06 करोड़ लाभार्थी कवर किए गए।

(ख) से (घ) भारत सरकार एक व्यापक राष्ट्रीय रोजगार नीति विकसित करने की प्रक्रिया में है। प्रस्तावित नीति का प्रयोजन, अन्य बातों के साथ-साथ, बृहत-आर्थिक नीति से संबंधित मामलों, क्षेत्रीय नीतिगत मामलों, श्रम नीति, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों संबंधी मामलों, कौशल विकास मामलों, महिलाओं से संबंधित मामलों और असुरक्षित कामगारों से संबंधित मामलों का निराकरण करना है तथा इसमें रोजगार अवसरों में सुधार के लिए सुझावों को शामिल किया गया है। नीति के इनपुट के लिए पणधारकों, जैसे मंत्रालयों, राज्य सरकारों, ट्रेड यूनियनों, उद्योग संघों, आदि के साथ परामर्श किया गया है।

*****